

बिहार विधान सभा सचिवालय

**षोडश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र
दिनांक 27 नवम्बर, 2019**

की

कार्य-सूची

**वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव**

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,95,92,01,000/- (तीन अरब पंचानवे करोड़ नानवे लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-4. श्री ललित कुमार यादव, श्री राजेश कुमार एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 84,81,95,000/- (चौरासी करोड़ इक्कासी लाख पंचानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 6-7. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

8. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,35,64,66,000/- (तीन अरब पैंतीस करोड़ चौंसठ लाख छियासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 9-10. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

11. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,54,58,000/- (चार करोड़ चौब्वन लाख अठावन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

12. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 19,00,000/- (उन्नीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 13-14. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

15. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 37,27,11,000/- (सैंतीस करोड़ सत्ताइस लाख ग्यारह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

16. श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-उर्जा विभाग

17. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक 'शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

18. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,58,45,000/- (दो करोड़ अठावन लाख पैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

19. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,05,55,000/- (एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 20-21. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

22. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,50,90,00,000/- (तीन अरब पचास करोड़ नब्बे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 23-24. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

25. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 51,41,000/- (इक्कावन लाख इकतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 89,00,000/- (नवासी लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 27-28. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-उर्जा विभाग

17. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक 'शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

18. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,58,45,000/- (दो करोड़ अठारह लाख पैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

19. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,05,55,000/- (एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 20-21. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

22. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,50,90,00,000/- (तीन अरब पचास करोड़ नब्बे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 23-24. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

25. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 51,41,000/- (इक्कावन लाख इकतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 89,00,000/- (नवासी लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 27-28. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-उर्जा विभाग

17. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

18. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,58,45,000/- (दो करोड़ अठावन लाख पैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

19. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,05,55,000/- (एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 20-21. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

22. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,50,90,00,000/- (तीन अरब पचास करोड़ नब्बे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 23-24. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

25. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 51,41,000/- (इकवायन लाख इकतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 89,00,000/- (नवासी लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 27-28. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

29. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,11,69,69,000/- (चार अरब ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख उनहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 30-31. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

32. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,34,87,64,000/- (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ सत्तासी लाख चौंसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 33-35. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

36. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 16,10,04,71,000/- (सोलह अरब दस करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 37-39. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

40. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,86,54,90,000/- (चार अरब छियासी करोड़ चौब्वन लाख नब्बे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 41-43. श्री ललित कुमार यादव, श्री राजेश कुमार एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

44. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,55,40,000/- (तीन करोड़ पचपन लाख चालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 45-46. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

47. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 50,84,50,000/- (पचास करोड़ चौरासी लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

48. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 35,37,47,000/- (पैंतीस करोड़ सैंतीस लाख सैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 49-50. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

51. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,25,00,000/- (तीन करोड़ पच्चीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

52. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 43,25,00,000/- (तैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-31

आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

53. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

54. प्रभारी मंत्री, विधान मंडल प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,85,00,000/- (दस करोड़ पचासी लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

55. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 25,42,65,000/- (पचीस करोड़ बेयालीस लाख पैंसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 56-57. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

58. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,38,43,000/- (पाँच करोड़ अड़तीस लाख तैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

59. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 28,44,10,000/- (अट्ठाइस करोड़ चौवालीस लाख दस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 60-61. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

62. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 19,17,97,01,000/- (उन्नीस अरब सत्रह करोड़ सत्तानवे लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

63. श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

64. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 25,35,45,000/- (पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 65-66. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

67. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,50,00,00,000/- (चार अरब पचास करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 68-70. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

71. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,47,25,37,000/- (छ: अरब सैंतालीस करोड़ पचीस लाख सैंतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 72-74. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

75. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 76,70,52,000/- (छिहत्तर करोड़ सत्तर लाख बावन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 76-77. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

78. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 28,94,40,000/- (अट्ठाइस करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

79. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 49,00,000/- (उनचास लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 80-81. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

82. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 83-84. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

85. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,71,66,53,000/- (नौ अरब इकहत्तर करोड़ छियासठ लाख तिरपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 86-88. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

89. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,34,22,00,000/- (पाँच अरब चौतीस करोड़ बाइस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 90-92. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

93. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,01,62,00,000/- (आठ अरब एक करोड़ बासठ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 94-96. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

97. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,63,17,07,000/- (ग्यारह अरब तिरसठ करोड़ सत्रह लाख सात हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 98-100. श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-12/2019-5337 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2019 ई०।
प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / वित्त आयुक्त / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाश्विक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-12/2019-5337 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2019 ई०।
प्रति:-आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-12/2019-5337 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2019 ई०।
प्रति:-अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा को विधान सभा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-12/2019-5337 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2019 ई०।
प्रति:-विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा (पाँच प्रतियों में), बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।